



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258132
CG-DL-E-22102024-258132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4243]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946

No. 4243]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4617(अ).—केंद्रीय सरकार, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना का.आ. संख्या 4072 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 3 और 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“3. श्री हिबी ईडन, संसद सदस्य, लोक सभा

- सदस्य

4. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी, संसद सदस्य, लोक सभा

- सदस्य”।

[फा. सं. 1/4/2018 – ईपी (एमपी)पार्टी]

अजय भादू, अपर सचिव

टिप्पणी - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 4072 (ई), दिनांक 31 अगस्त, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2024

S.O. 4617(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Marine Products Export Development Authority and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce S.O. number 4072 (E), dated the 26th August, 2022, namely:-

In the said notification, for serial numbers 3 and 4, and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

- “3. Shri Hibi Eden, Member of Parliament, Lok Sabha - Member
4. Shri Balashowry Vallabhaneni, Member of Parliament, Lok Sabha - Member”.

[F. No. 1/4/2018 – EP (MP)Pt.]

AJAY BHADOO, Addl. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4072 (E), dated the 31st August, 2022.